बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 01 / भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)–30 / 2021(खंड–4)7076 पटना, दिनांकः 15/09/2023

आदेश

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के स्तर पर बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत नवसृजित संविदा पद पर नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–01 / 2019 के तहत सुश्री अल्का कुमारी, पिता–श्री नवल किशोर, ग्राम–आभा मुख्तापुर, पोस्ट–कानपूर (मल), थाना–बाथ सुलतानगंज, जिला–भागलपुर को डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र के आधार पर विशेष सर्वेक्षण अमीन के संविदा पद पर नियोजित करते हुए निदेशालय पत्रांक 10640 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा बंदोबस्त कार्यालय, बांका में पदस्थापित किया गया है। प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियोजन हेतु सुश्री अल्का द्वारा Karnataka State Open University Mukthagangotri, Mysuru से निर्गत डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र पर नियोजन प्राप्त किया गया है।

नियोजन के उपरांत इनके द्वारा समर्पित डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु निदेशालय के पत्रांक 4700 दिनांक 29.12.2021 एवं अंतिम स्मार पत्रांक 4600 दिनांक 02.06.2023 से भेजे गये पत्र का अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन में यह अंकित किया गया है कि "The University does not issue verification of marks cards to the student to collaborative institutions. The Distance Education Council (DEC)/AICTE has not given approval to technical programmes like Diploma/B.Tech/M.Tech offered by KSOU"

विश्वविद्यालय से प्राप्त उक्त सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 5964 दिनांक 25.07.2023 द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजन प्राप्त करने के विरूद्ध आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित तिथि एवं समय पर समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण में यह तथ्य दिया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए उत्तर दिया गया है न कि वर्ष 2011–13 के लिए। साथ ही यह भी तथ्य दिया गया है कि उक्त विश्वविद्यालय को वर्ष 2013 तक Distance Education Council (DEC), IGNOU के द्वारा KSOU को Degree Program के लिए मान्यता प्रदान किया गया था।

विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित का कथन है कि विश्वविद्यालय को वर्ष 2013 तक की मान्यता प्राप्त थी जबकि विश्वविद्यालय द्वारा अपने सत्यापन प्रतिवेदन में कहीं अंकित नहीं किया गया है कि उनके विश्वविद्यालय को वर्ष 2013 तक तकनीकी पाठ्क्रम चलाने की मंजूरी दी गयी थी। विश्वविद्यालय द्वारा अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय को DEC/AICTE द्वारा तकनीकी कार्यक्रम चलाने की मंजूरी नहीं दी गयी है। सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपित गलत / फर्जी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने में सफल हो गये हैं।

उपरोक्त के आलोक में विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन एवं नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में "Term of Assignment" की कंडिका–(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में सुश्री अल्का कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02391) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त संविदा कर्मी को प्रभारित सभी कागजात / दस्तावेज / सामग्री अविलंब प्राप्त कर ली जाय एवं अब तक भुगतान किए गए मानदेय की वसूली करते हुए इनके विरूद्ध फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य संगत आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित किया जाय।

(जय सिंह) 14/9/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)–30/2021(खंड–4) 7076 पटना, दिनांक :– 15/09/2023

प्रतिलिपि :– सुश्री अल्का कुमारी, पिता–श्री नवल किशोर, ग्राम–आभा मुख्तापुर, पोस्ट–कानपूर (मल), थाना–बाथ सुलतानगंज, जिला–भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)–30/2021(खंड–4) 7076 पटना, दिनांक :– 15/09/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)–30/2021(खंड–4) 7076 पटना, दिनांक :– 15/09/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R सॉफ्टवेयर में संधारित श्री कुमार की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
14/9/23